



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 1 मई, 1972

वंशाख 12, 1894 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग

संख्या 1441/सत्रह--वि०-28-72

लखनऊ 1 मई, 1972

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, 1972 पर दिनांक 28 अप्रैल, 1972 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1972 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1972)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिसूचित किसी अन्य निगम या किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अन्य अनुसूचित बैंक या किसी सरकारी कम्पनी को बिये जाने वाले कतिपय वर्ग के देयों की, भूतलक्षी प्रभाव से, शीघ्र वसूली की व्यवस्था करने, और पूर्वकृत कतिपय कृत्यों और की गई कार्यवाहियों का बंधीकरण करने, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह धारा और धारा 2 से 5 तक 4 दिसम्बर, 1965 से प्रवृत्त हुई समझौता-जायगी।

2—(1) जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) "निगम" का तात्पर्य स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1951 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से है, और इसके अन्तर्गत कोई अन्य निगम भी है जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हो और जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में तदर्थ जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट हो ;

संक्षिप्त नाम,
प्रसार तथा प्रारम्भ

परिभाषाएँ

(ख) "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय सहायता से है जो—

- (1) किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने, उसका विस्तार या आधुनिकीकरण या नवीकरण करने अथवा उसे चलाने के लिये; या
- (2) व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये; या
- (3) कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन या कृषि-उद्योग के विकास के लिये; या
- (4) किसी अन्य प्रकार के योजनाबद्ध विकास के प्रयोजनों के लिये; या
- (5) विपत्ति में सहायता के लिये;

दी जाय;

(ग) "सरकारी कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित गवर्नमेंट कम्पनी से है;

(घ) "औद्योगिक संस्था" का तात्पर्य वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ऐक्ट, 1951 में पद 'इण्डस्ट्रियल कन्सर्न' के लिये दिया गया हो;

(ङ) "औद्योगिक उपक्रम" के अन्तर्गत कोई ऐसा उपक्रम भी है जो माल के निर्माण, संरक्षण, संग्रहण अथवा प्रक्रिया या खनन अथवा होटल उद्योग अथवा यात्रियों या माल के परिवहन या विद्युत् अथवा किसी अन्य प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण के लिये, अथवा औद्योगिक आस्थान के रूप में किसी समीपवर्ती क्षेत्र की भूमि का विकास करने के लिये हो;

स्पष्टीकरण:—पद "माल की प्रक्रिया करना" के अन्तर्गत किसी पदार्थ पर हस्तसाधित, यान्त्रिक, रासायनिक, विद्युत् या उसी प्रकार की कोई अन्य क्रिया करके किसी वस्तु को उत्पादित करने, तैयार करने अथवा बनाने के निमित्त कोई कला या प्रक्रिया है।

(च) "बैंकिंग कम्पनी" का तात्पर्य स्टेट बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1955 के अधीन संघटित स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सर्विसिडियरी बैंक्स) ऐक्ट, 1959 में यथा-परिभाषित सर्वसिडियरी बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तर्गण) अधिनियम, 1970 के अधीन संघटित साक्ष्य नये बैंक अथवा बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा-परिभाषित बैंकिंग कम्पनी से है;

(छ) "राज्य द्वारा पुरोनिधानित योजना" का तात्पर्य वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित ऐसी योजना से है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार या तो किसी बैंकिंग कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी को ऋण वितरित करने, अग्रिम धनराशि या अनुदान देने के लिये अथवा माल को उधार बँचने या उसके क्रयावक्रय के लिये अग्रिम धनराशि देती है या ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान को वापसी के लिये अथवा उधार या क्रयावक्रय पर बँचे गये माल की कीमत के भुगतान के लिये प्रत्याभूति देती है या प्रत्याभूति देने का अनुबन्ध करती है।

कतिपय देयों की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली

3—(1) यदि कोई व्यक्ति—

(क) राज्य सरकार या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उसे दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान अथवा उसे उधार बँचे गये या क्रयावक्रय पर बँचे गये माल से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत, यथास्थिति बैंकिंग कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा उसे दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान से सम्बद्ध या उस उधार बँचे गये या क्रयावक्रय पर बँचे गये माल से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में; या

(ग) किसी औद्योगिक संस्था द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभूति से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में; या

(घ) किसी ऐसे अनुबन्ध में जिसमें इन बात की व्यवस्था की गई हो कि राज्य सरकार को तद्धीन देय कोई धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी;

एक पक्ष हो और ऐसा व्यक्ति—

(1) ऋण अथवा अग्रिम धनराशि या उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे; या

(2) अनुदान की शर्तों के अधीन अनुदान अथवा उसके किसी भाग की वापसी के लिए देनदार हो जाने पर, ऐसे अनुदान अथवा उसके भाग या उसकी किस्त को वापस करने में कोई चूक करे; या

(3) अन्य प्रकार से अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करे, तो राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, तथा निगम या सरकारी कम्पनी की दशा में, उसका प्रबन्ध

निदेशक, और किसी बैंकिंग कम्पनी की दशा में, उसका स्थानीय एजेन्ट, वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, कलेक्टर को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करके इस अनुरोध के साथ एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है कि उपर्युक्त धनराशि को कार्यवाहियों के व्यय सहित मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जाय।

(2) कलेक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(3) उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपर्युक्त प्रकार से देय किसी भी धनराशि की वसूली के लिये कोई वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

4—(1) धारा 3 की किसी बात से—

(क) राज्य सरकार, निगम, सरकारी कम्पनी या किसी बैंकिंग कम्पनी की किसी सम्पत्ति में किसी बन्धक, भार, गिरवी या अन्य प्रभार द्वारा सृजित किसी स्वत्व पर कोई प्रभाव न पड़ेगा ; या

(ख) उक्त धारा में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, उक्त धारा में अभिदिष्ट किसी अनुबन्ध के सम्बन्ध में की गई क्षतिपूर्ति या प्रत्याभूति की संविदा के सम्बन्ध में अथवा खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी स्वत्व के सम्बन्ध में कोई वाद लाने में रुकावट न होगी, और न ही किसी अन्य अधिकार या उपचार पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

(2) यदि धारा 3 में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति की सम्पत्ति राज्य सरकार, निगम, सरकारी कम्पनी, बैंकिंग कम्पनी के पक्ष में किसी बन्धक, भार, गिरवी अथवा अन्य किसी प्रभार स्वरूप प्रस्त है, तो—

(क) माल की गिरवी के प्रत्येक मामले में, सर्वप्रथम गिरवी रखी गई चीज को बेचने की कार्यवाही की जायेगी, और यदि इसका विक्रय आगम देय धनराशि से कम हो, तो अवशेष की वसूली के लिये उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि, यथास्थिति, स्वयं उसे अथवा निगम, सरकारी कम्पनी अथवा बैंकिंग कम्पनी को देय धनराशि की वसूली को सुरक्षित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है, तो वह गिरवी रखी गई चीज को बिक्री के पूर्व अथवा बिक्री की कार्यवाही करते समय, कारण अभिलिखित करके, निदेश दे सकती है कि देय धनराशि की वसूली के लिये उसी प्रकार कार्यवाहियों की जायें मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो ;

(ख) किसी अचल सम्पत्ति पर होने वाले बन्धक, भार अथवा अन्य प्रभार के प्रत्येक मामले में, सर्वप्रथम ऐसी सम्पत्ति या जैसी भी दशा हो, सम्पत्ति में बाकीदार का स्वत्व, उक्त ध्वजित द्वारा देय धनराशि की वसूली की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रथमतः इस प्रकार बेचा जायगा मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो, तथा तदुपरान्त अन्य कोई भी कार्यवाही केवल तभी की जायेगी जब कलेक्टर यह प्रमाणित करे कि उचित अर्वाधि के भीतर प्रथम वर्णित प्रक्रिया द्वारा देय सम्पूर्ण धनराशि को वसूलने की कोई सम्भावना नहीं है।

5—लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

6—धारा 5 द्वारा लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 का निरसन होते हुये भी, और किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी राज्य सरकार या निगम या किसी सरकारी कम्पनी या स्टेट बैंक आफ इन्डिया या अन्य अनुसूचित बैंक द्वारा, अथवा राज्य सरकार या ऐसे निगम, कम्पनी या बैंक के किसी अधिकारी द्वारा, अथवा किसी कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारिक द्वारा, अथवा कलेक्टर द्वारा नियुक्त या नियुक्त किये जाने के लिये तात्पर्यित रिसेवर द्वारा 4 दिसम्बर, 1965 और इस अधिनियम के प्रारम्भ के मध्य में की गई अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही, या किया गया अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य, जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके अनुसरण में मालगुजारी की बकाया के रूप में किसी धनराशि की वसूली के लिये जारी की गई कोई अधिसूचना, जारी किया गया या भेजा गया प्रमाण-पत्र, रिसेवर की कृत नियुक्ति या कृत अन्य कार्यवाहियां भी हैं, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत न हों, वैध समझी जायेंगी और उन्हें इस अधिनियम के तदनु रूप उपबन्धों के अधीन या उनके अनुसरण में कृत कार्यवाही या कृत कार्य समझा जायगा।

7—उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अध्यादेश, 1972 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

अपवाद

निरसन

वैधीकरण

निरसन

No. 1441 (2) /XVII-V-28-72

Dated Lucknow, May 1, 1972

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Dhan (Deyon Ki Vasooli) Adhiniyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1972) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 28, 1972.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC MONEYS (RECOVERY OF DUES)
ACT, 1972

[U. P. ACT NO. 23 OF 1972]

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH VIDHAN MANDAL)

AN
ACT

to provide, with retrospective effect, for the speedy recovery of certain classes of dues payable to the State Government or to the Uttar Pradesh Financial Corporation or any other corporation notified by the State Government in that behalf or to any nationalised or other Scheduled Bank or to a Government Company, and to validate certain acts done and proceedings taken in the past, and to provide for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-third year of the Republic of India, follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) This section and sections 2 to 5 shall be deemed to have come into force on December 4, 1965.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "Corporation" means the Uttar Pradesh Financial Corporation established under the State Financial Corporation Act, 1951, and includes any other Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government and specified in a notification issued in that behalf by the State Government in the official Gazette ;

(b) "financial assistance" means any financial assistance—

(i) for establishing, expanding, modernising, renovating or running any industrial undertaking ; or

(ii) for purposes of vocational training ; or

(iii) for the development of agriculture, horticulture, animal husbandry or agro-industry ; or

(iv) for purposes of any other kind of planned development ; or

(v) for relief against distress ;

(c) "Government Company" means a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 ;

(d) "industrial concern" has the meaning assigned to the expression in the State Financial Corporation Act, 1951, as amended from time to time ;

(e) "industrial undertaking" includes any undertaking for the manufacture, preservation, storage or processing of goods, or mining, or the hotel industry, or the transport of passengers or goods, or the generation or distribution of electricity or any other form of power, or for the development of any contiguous area of land as an industrial estate ;

Explanation—The expression "processing of goods" includes any art or process for producing, preparing or making an article by subjecting any material to a manual, mechanical, chemical, electrical or any other like operation ;

(f) "banking company" means the State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955, a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, or a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949; ~~or a financial bank~~]

(g) "State-sponsored scheme" means a scheme sponsored by way of financial assistance by the State Government under which the State Government either advances money to a banking company or a Government company for the purpose of disbursing loans, advances or grants or for purpose of sale of goods on credit or hire-purchase or guarantees or agrees to guarantee the repayment of a loan, advance or grant or the payment of the price of goods sold on credit or hire-purchase.

3. (1) Where any person is party—

Recovery of certain dues as arrears of land revenue.

(a) to any agreement relating to a loan, advance or grant given to him or relating to credit in respect of, or relating to hire-purchase of, goods sold to him by the State Government or the Corporation, by way of financial assistance ; or

(b) to any agreement relating to a loan, advance or grant given to him or relating to credit in respect of, or relating to hire-purchase of, goods sold to him, by a banking company or a Government company, as the case may be, under a State-sponsored scheme ; or

(c) to any agreement relating to a guarantee given by the State Government or the Corporation in respect of a loan raised by an industrial concern ; or

(d) to any agreement providing that any money payable thereunder to the State Government shall be recoverable as arrears of land revenue ; and such person—

(i) makes any default in repayment of the loan or advance or any instalment thereof ; or

(ii) having become liable under the conditions of the grant to refund the grant or any portion thereof, makes any default in the refund of such grant or portion or any instalment thereof ; or

(iii) otherwise fails to comply with the terms of the agreement,—

then, in the case of State Government, such officer as may be authorised in that behalf by the State Government by notification in the official Gazette, and in the case of the Corporation or a Government company the Managing Director thereof, and in the case of a banking company, the local agent thereof, by whatever name called, may send a certificate to the Collector, mentioning the sum due from such person and requesting that such sum together with costs of the proceedings be recovered as if it were an arrear of land revenue.

(2) The Collector on receiving the certificate shall proceed to recover the amount stated therein as an arrear of land revenue.

(3) No suit for the recovery of any sum due as aforesaid shall lie in the civil court against any person referred to in sub-section (1).

4. (1) Nothing in section 3, shall—

Savings.

(a) affect any interest of the State Government, the Corporation, a Government company or any banking company, in any property created by any mortgage, charge, pledge or other encumbrance ; or

(b) bar a suit or affect any other right or remedy against any person other than a person referred to in that section, in respect of a contract of indemnity or guarantee entered into a relation to an agreement referred to in that section or in respect of any interest referred to in clause (a).

(2) Where the property of any person referred to in section 3 is subject to any mortgage, charge, pledge or other encumbrance in favour of the State Government, the Corporation, a Government company or banking company, then—

(a) in every case of a pledge of goods, proceedings shall first be taken for sale of the thing pledged, and if the proceeds of such sale are less than the sum due, then proceedings shall be taken for recovery of the balance as if it were an arrear of land revenue :

Provided that where the State Government is of opinion that it is necessary so to do for safeguarding the recovery of the sum due to it or to the Corporation, Government company or banking company, as the case may be, it may for reasons to be recorded, direct proceedings to be taken for recovery of the sum due, as if it were an arrear of land revenue before or at the same time as proceedings are taken for sale of the thing pledged ;

(b) in every case of a mortgage, charge or other encumbrance on immovable property, such property or, as the case may be, the interest of the defaulter therein, shall first be sold in proceedings for recovery of the sum due from that person as if it were an arrear of land revenue, and any other proceeding may be taken thereafter only if the Collector certifies that there is no prospect of realisation of the entire sum due through the first mentioned process within a reasonable time.

Repeal.

5. The Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1965, is hereby repealed.

Validation,

6. Notwithstanding the repeal of the Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1965, by section 5, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal, any action taken or purported to have been taken, or anything done or purported to have been done, between December 4, 1965 and the commencement of this Act, by the State Government or by the Corporation or a Government company or the State Bank of India or other scheduled bank, or by any officer of the State Government or of such corporation, company or bank, or by any Collector or other revenue official or by a Receiver appointed or purported to have been appointed by the Collector, including any notification issued, certificate issued or sent, appointment of Receiver made or other proceedings taken for recovery of any amount as an arrear of land revenue under or in pursuance of the said Act shall in so far as it is not inconsistent with this Act be deemed to be valid and to have been taken or done under or in pursuance of the corresponding provisions of this Act.

Repeal

7. The Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Ordinance, 1972 is hereby repealed.

आज्ञा से,
केलाश नाथ गोयल,
विशेष सचिव ।